यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला क्रीडा अ धकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अप्राप्त सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला क्रीडा अ धकारी, रूद्रप्रयाग, के माह जून 2013 से दिसम्बर 2017 तक के लेखा अ भलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार सचान, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री मुन्नाराम लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 08.01.2018 से 11.01.2018 तक श्री महेन्द्र तिवारी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-प्रथम</u>

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री अर वन्द कुमार शर्मा सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 13.06.2013 से 18.06.2013 तक श्री सुनील कल्ला वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 2002/03 से 05/2013 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2013 से 12/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2. (I) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः- जिला खेल कार्यालय, रुद्रप्रयाग जनपद रुद्रप्रयाग में 11 खेलो में बालक /बा लकाओं को प्र शक्षण प्रदान कया जा रहा है तथा जिला स्तरीय प्रतियो गताओं एवं क्रीड़ा प्रतिष्ठानों का निर्माण भी कराया जाता है। बा लका एथलेटिक्स का आवासीय क्रीड़ा छात्रावास संचा लत कया जा रहा है।

(II) (अ) वगत पाँच वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अ धक्य (+)	बचत (-) समर्पण
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2013-14	--	--	14.00	14.00	76.83	76.83	--	--
2014-15	--	--	15.80	7.16	202.38	194.76	--	16.26
2015-16	--	--	28.14	19.89	168.44	164.19	--	12.50
2016-17	--	--	24.20	17.53	95.75	95.25	--	7.17
2017-18 (12/2017 तक)	--	--	24.19	10.79	40.38	30.70	--	23.08

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः-

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत (-)
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई "C" श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. स चव 2. अपर स चव खेल 3. निदेशक खेल 4. अपर निदेशक खेल 5. संयुक्त निदेशक खेल 6. उप निदेशक खेल 7. सहायक निदेशक खेल

2. जनपद स्तरः- 1. जिला क्रीड़ा अ धकारी 2. उप क्रीड़ा अ धकारी 3. प्रधान सहायक

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में जिला क्रीडा अ धकारी, रूद्रप्रयाग, को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला क्रीडा अ धकारी, रूद्रप्रयाग, की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह अगस्त 2014, सतम्बर 2013 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया। जिला क्रीडा अ धकारी, रूद्रप्रयाग, का वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत कये गये व्यय जिला क्रीडा अ धकारी, रूद्रप्रयाग, के आधार पर कया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर **01:-** वभागीय उदासीनता के फलस्वरुप **₹ 13.26** लाख की निष्प्रयोज्य सामाग्री अनिस्तारित रहना।

सामान्य वत्तीय नियम के नियम 192 के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार भण्डार का भौतिक सत्यापन कया जाना चाहिये एवं नियम 196 और 197 के अनुसार अनुपयोगी सामग्री का निष्प्रोयज्य घो षत कर उसकी यथाशीघ्र नीलामी की जानी चाहिये।

लेखा अ भलेखों की जाँच में पाया गया क कार्यालय द्वारा भण्डार का न तो भौतिक सत्यापन कया जा रहा है और न ही अनुपयोगी सामग्री को निष्प्रयोज्य घो षत कया जा रहा है। कार्यालय द्वारा निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी भी नही की गई है।

वशेष ध्यान देने वाली बात यह है क वगत लेखापरीक्षा में इस सम्बन्ध में आप त की गई थी एवं भाग- दो (ब) में प्रस्तर सं0-2 के रूप में प्रस्तर निर्गत कया गया था कन्तु कार्यालय द्वारा न तो प्रस्तर की अनुपालन आख्या तैयार की गई और न ही निष्प्रयोज्य सामग्री के निस्तारण की प्र क्रया का पालन सुनिश्चित कया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया क नियमानुसार भौतिक सत्यापन कया जायेगा एवं निष्प्रयोज्य सामग्री की सूची तैयार करने की प्र क्रया गतिमान है।

उत्तर से स्पष्ट है क वगत लेखापरीक्षा में आप त करने के बावजूद भण्डार एवं निष्प्रयोज्य सामग्री के सम्बन्ध में वत्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित नही कया गया। एवं लेखापरीक्षा ति थ तक ₹ 13.26 लाख के क्रय मूल्य की निष्प्रयोज्य सामग्री को नियमानुसार नीलाम नही कया गया।

अतः वभागीय उदासीनता के कारण ₹ 13.26 लाख की निष्प्रयोज्य सामग्री को नियमानुसार नीलाम नही कये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-**III**

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या
18/2013-14	--	1

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
अनुपालन आख्या तैयार कर सीधे कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रे षत की जायेगी। 18/2013-14 का प्रस्तर सं० 02 अद्यतन कया गया।				

भाग-**IV**

इकाई के सर्वेत्तम कार्य

----------शून्य---------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय जिला क्रीडा अ धकारी, रूद्रप्रयाग, तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(I) शून्य

3. सतत् अनिय मतताएं

(I) शून्य

4. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गयाः

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अव ध
1.	श्री सतीश कुमार सार्की	जिला क्रीड़ा अ धकारी	01.02.2013 से 31.03.2014
2.	सुश्री महेशी आर्य	प्रभारी जिला क्रीड़ा अ धकारी	01.04.2014 से 03.06.2014
3.	श्री चन्द्रलाल वर्मा	जिला क्रीड़ा अ धकारी	04.06.2014 से 13.06.2015
4.	श्री जगजीवन संह मेहता	प्रभारी जिला क्रीड़ा अ धकारी	14.06.2015 से 19.08.2016
5.	सुश्री महेशी आर्य	प्रभारी जिला क्रीड़ा अ धकारी	20.08.2016 से वर्तमान तक

(V) लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय जिला क्रीडा अ धकारी, रूद्रप्रयाग, को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी /सा.क्षे.